क्रम संख्या 129

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 19 अगस्त, 2011 ई0
श्रावण 28, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 885 / 2011 / 17(120) / XXVII(8) / 2009
देहरादून, 19 अगस्त, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व विधि अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर (संशोधन) नियमावली, 2011

1– संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर(संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– नियम 3 का संशोधन :

उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है के नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
3: अवधि जिसके भीतर तथा रीति जिसके अनुसार कर का भुगतान किया जायेगा: अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्वामी द्वारा देय कर की धनराशि का भुगतान उस मास की, जिसके सम्बन्ध में स्वामी द्वारा संग्रहीत कर हो, समाप्ति के पश्चात् पॉच दिन के भीतर किसी सरकारी कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में, होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–1 में चालान द्वारा जमा किया जायेगा।	(क): पंजीयन के लिये आवेदन: (एक) प्रत्येक होटल स्वामी, जिससे अधिनियम की धारा 6(3) के अधीन पंजीकृत होना अपेक्षित है, कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पंजीयन का आवेदन, प्ररूप–10 में प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त पंजीयन आवेदन विभाग की वैबसाइट पर इलैक्ट्रॉनिक विधि से प्रस्तुत किया जायेगा। पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाला होटल स्वामी कम से कम तीन वर्ष से व्यापार कर रहे वर्तमान पंजीकृत ब्यौहारी, अधिवक्ता अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट या कॉस्ट एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक् रूप से परिचयित किया जायेगा। आवेदन के साथ, स्वत्वधारी या फर्म के प्रत्येक वयस्क भागीदार या हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के प्रत्येक सहदायी, जैसी भी दशा हो, किसी अधिवक्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, पासपोर्ट के आकार के फोटो की प्रतियॉ, आयकर विभाग द्वारा जारी कारबार के पैन (PAN) सहित, प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर निम्नलिखित का हस्ताक्षर होगा– (क) स्वत्वधारी कारबार की स्थिति में स्वत्वधारी अथवा उसकी ओर से कार्य करने हेतु सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति; (ख)साझीदारी फर्म की स्थिति में, सभी अन्य साझीदार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई साझीदार; (ग) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की स्थिति में, कर्ता; (घ) किसी लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में, प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, (ङ) किसी सोसायटी या क्लब या संगम की स्थिति में, अध्यक्ष या सचिव; (च) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग अथवा किसी निगम अथवा किसी स्थानीय निकाय की स्थिति में, कार्यालय प्रमुख या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति; (छ) ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्टी, (ज)जहॉ कारबार किसी अप्राप्तवय अथवा असमर्थ व्यक्ति के नाम पर है, अप्राप्तवय अथवा असमर्थ व्यक्ति का रिसीवर अथवा संरक्षक; (झ)किसी अन्य स्थिति में, ब्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(दो) पंजीयन प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। मूल प्रतियाँ ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत की जायेंगी–

(क) पंजीयन शुल्क जमा के सबूत हेतु

(एक) चालान अथवा ई–चालान

(ख) व्यष्टियों की पहचान के सबूत हेतु–निम्न में से कोई एक–

(एक) व्यष्टि का पासपोर्ट

(दो) व्यष्टि का मतदान पहचान पत्र

(तीन) व्यष्टि का पैन कार्ड

(चार) व्यष्टि का ड्राइविंग लाईसेंस, और

(पाँच) किसी अधिवक्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा व्यष्टि का अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार की फोटो

(ग) व्यष्टियों के निवास के पते के सबूत हेतु–निम्न में से कोई एक, जिसमें व्यष्टि का नाम व आवासीय पता हो–

(एक) व्यष्टि का पासपोर्ट

(दो) व्यष्टि का मतदान पहचान पत्र

(तीन) व्यष्टि का ड्राइविंग लाईसेंस

(चार) व्यष्टि के बैंक खाते का विवरण/पास बुक ऐसे खाते के चैक के निरस्त पर्ण सहित,

(पाँच) मकान का पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा पट्टा विलेख, जैसी भी स्थिति हो,

(छः) नगर निगम, परिषद/ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो के सम्पत्ति कर की नवीनतम रसीद अथवा सम्पत्ति कर का कर निर्धारण आदेश;

(सात) नवीनतम संदत्त दूरभाष बिल;

(आठ) यू0पी0सी0एल0 का नवीनतम संदत्त बिजली का बिल,

(नौ) तहसीलदार के पद से अनिम्न राजस्व विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

(घ) होटल स्वामी (केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान/विभाग/निगम/कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय को छोड़कर) के कारबार के परिसरों के पते के सबूत हेतु–निम्नलिखित में से कोई एक जिसमें कारबार का नाम तथा परिसरों के पते उल्लिखित हों–

(एक) कारबार परिसरों के पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा स्वामित्व विलेख अथवा स्वामी के मामले मे भवन निर्माता के साथ करार;

(दो) सम्पत्ति कर का कर निर्धारण आदेश;

(तीन) किरायेदार/उप–किरायेदार के मामले में किरायेदारी/उप–किरायेदारी जैसे कि किराये दारी का करारनामा अथवा किराये की रसीद अथवा पट्टा अथवा अनुज्ञप्ति अथवा सहमति पत्र आदि,

अनुज्ञप्तिधारक अथवा सहमति देने वाले व्यक्ति का स्वामित्व दर्शाने वाले दस्तावेजों से समर्थित सबूत;

(चार) यू0पी0सी0एल0 द्वारा जारी परिसरों का मीटर सिलिंग प्रमाण पत्र;

(पॉच) तहसीलदार के पद से अनिम्न राजस्व विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(छः) सिडकुल अथवा डी0आई0सी0 अथवा विकास प्राधिकारण द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(सात) कारबार के बैंक खाते का विवरण/पास बुक ऐसे खाते के चैक के निरस्त पर्ण सहित;

(ङ) होटल स्वामी (स्वत्वधारी को छोड़कर) के गठन के सबूत हेतु–

(एक) साझीदारी फर्म के मामले में पंजीकृत साझीदारी विलेख;

(दो) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में दस्तावेज जिससे हिन्दू अविभक्त कुटम्ब सृजित किया गया है;

(तीन) कम्पनी के मामले में संगम–ज्ञापन एवं संगम–अनुच्छेद और कारबार के बैंक खाते का विवरण;

(चार) सोसाइटी, क्लब अथवा संगम के मामले में सोसाइटी, क्लब अथवा सोसाइटी के उपविधि;

(पॉच) सरकारी विभाग अथवा निगम के मामले में विभाग अथवा कार्यालय के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र;

(छः) ट्रस्ट के मामले में ट्रस्ट विलेख;

(च) आवेदनकर्ता (स्वत्वधारी को छोड़कर) के नाम पर प्राधिकार के सबूत हेतु–

(एक) साझीदारी फर्म के सभी अन्य साझीदारों द्वारा ऐसे साझीदार जो कि पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(दो) हिन्दू अविभक्त कटुम्ब के मामले में दस्तावेज (जिसमें कर्ता का नाम निहित है) जिससे कि हिन्दू अविभक्त कटुम्ब सृजित किया गया है;

(तीन) निदेशक बोर्ड द्वारा कम्पनी के ऐसे निदेशक अथवा प्रबन्धक/कर्मचारी जो कि पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है, को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(चार) सोसाइटी, क्लब अथवा संगम के मामले में किसी व्यक्ति की अध्यक्ष अथवा सचिव के रूप मे नियुक्ति का संकल्प;

(पॉच) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा निगम अथवा स्थानीय निकाय के कार्यालय प्रमुख द्वारा ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कि पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर कर रहा है को दिया गया प्राधिकार पत्र;

(छः) पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु सभी ट्रस्टियों द्वारा एक ट्रस्टी को प्राधिकृत करने का पारित संकल्प;

(सात) कारबार के असमर्थ स्वत्वधारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया प्राधिकार पत्र जिसे पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(आठ) अप्राप्यवय अथवा असमर्थ व्यक्ति के रिसीवर अथवा संरक्षक के मामले में विलेख अथवा प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति;

(छ) अन्य अधिनियमों के अधीन पंजीयन का सबूत (यदि ऐसा पंजीयन लागू है)

(एक) दुकान अथवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(दो) मण्डी एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(तीन) फर्म और सोसाइटी एक्ट के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(चार) सर्विस टैक्स एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(पॉच) इण्डस्ट्रीज एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(छः) सैण्ट्रल एक्साइज एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(सात) ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(आठ) कम्पनीज एक्ट के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(नौ) के0वी0आई0सी0 अथवा के0वी0आई0बी0 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(दस) ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(ग्यारह) राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाण पत्र

(बारह) मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र

(ज) पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सूची

.....

.....

.....

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी होटल स्वामी जो अधिनियम के अधीन पहले से पंजीकृत नहीं है, को निर्देशित कर सकता है कि वह सभी अथवा कोई सूचना प्ररूप–10 में प्रस्तुत करे और जब भी ऐसा किया जाता है ऐसा होटल स्वामी सही, पूर्ण और सत्य सूचना प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह और कि पंजीयन के लिये आवेदन, यदि यह पूर्ण नहीं है तथा वांछित उपाबन्ध एवं दस्तावेज दाखिल नहीं किये गये हैं, स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा इस नियम के अधीन ऐसा आवेदन, आवेदन नहीं माना जायेगा।

(तीन) प्रत्येक आवेदन के साथ अधिनियम में विनिर्दिष्ट फीस, और अर्थदण्ड, जहॉ संदेय हो जमा करने का समाधानप्रद रूप में प्रमाण दिया जायेगा।

(चार) पंजीयन का आवेदन होटल स्वामी के पंजीयन के लिये दायी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर दिया जायेगा;

परन्तु यह कि होटल स्वामी जो दिनांक 29 अप्रैल, 2011 और इन नियमों की प्रकाशन की तिथि के बीच पंजीयन के लिये दायी हो गये हैं, वे इन नियमों की प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर पंजीयन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

(पाँच) जहाँ राज्य में किसी होटल स्वामी के एक से अधिक होटल इकाइयाँ हों, वह ऐसी सभी इकाइयों के सम्बन्ध में किसी एक इकाई को कारबार का मुख्य स्थल विनिर्दिष्ट करते हुये पंजीयन का एकल प्रार्थना पत्र तैयार करेगा और उसे कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जिसकी अधिकारिता में ऐसा कारबार का मुख्य स्थल अवस्थित है, को प्रस्तुत करेगा। ऐसे कारबार के मुख्य स्थल का कर निर्धारक प्राधिकारी सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारियों को, जिनके क्षेत्राधिकार में ऐसी अन्य इकाइयाँ अवस्थित हों, पंजीयन की सूचना प्रेषित करेगा।

(छः) आवेदन ऑन–लाईन प्रस्तुत करने वाला होटल स्वामी मूल दस्तावेजों को सत्यापन हेतु कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख एवं समय पर प्रस्तुत करेगा।

(सात) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी होटल स्वामी जो अधिनियम के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकृत नहीं है, को इस नियम के अनुसार अपेक्षित सभी अथवा कोई सूचना प्ररूप–10 में देने के लिये निर्देशित कर सकता है और ऐसा होटल स्वामी जब कभी भी उससे अपेक्षित हो सही, पूर्ण और सत्य सूचना और दस्तावेज कारबार के पैन (PAN) सहित प्रस्तुत करेगा।

(आठ) जहाँ पंजीयन आवेदन इलैक्ट्रॉनिक विधि से भेजना साध्य नहीं है, वहाँ कमिश्नर इसके मैनुअली प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

(नौ) पंजीयन हेतु फीस :

(क) होटल स्वामी, जिससे पंजीयन प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी है, पंजीयन आवेदन के साथ एक हजार रुपये की फीस के जमा का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करेगा;

(ख) यदि होटल स्वामी विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् पंजीयन के लिये आवेदन करता है और पंजीयन के लिये विनिर्दिष्ट फीस एक हजार रुपये के अतिरिक्त विलम्ब के लिये मूल अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्धारित अर्थदण्ड, यदि कोई हो, जमा करने का समाधानप्रद सबूत प्रस्तुत करता है, तो उसको पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पंजीयन स्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) ऐसे होटल स्वामी को स्वीकृत पंजीयन तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह अधिनियम के अधीन पंजीयन के लिये दायी बना रहता है।

(दस) पंजीयन प्रमाण पत्र का दिया जाना :

(क) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि आवेदन व्यवस्थित रूप में है, दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उपनियम (2) के अधीन फीस एवं धारा 10 की उपधारा (3) अर्थदण्ड, जहॉ देय हो, जमा कर दिया गया है, तो वह होटल स्वामी को पंजीकृत कर सकता है और उसे प्ररूप–11 में पंजीयन प्रमाणपत्र दे सकता है।

(ख) यदि आवेदन सही न हो, अपूर्ण हो, व्यवस्थित रूप मे न हो या फीस या अर्थदण्ड का भुगतान न किया गया हो, तो कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी होटल स्वामी को कारण बताओ नोटिस तामील करने के पश्चात् आवेदन को अस्वीकार कर सकता है

(ग) प्ररूप–11 में पंजीयन प्रमाणपत्र में करदाता की पंजीयन संख्या उल्लिखित होगी और इसकी प्रविष्टि पंजीकृत होटल स्वामियों के रजिस्टर में की जायेगी।

पंजीयन संख्या का निर्धारण करने हेतु कमिश्नर द्वारा आवश्यक प्रशासनिक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(घ) कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी होटल स्वामी को पंजीयन प्रमाणपत्र में उल्लिखित प्रत्येक अतिरिक्त कारबार स्थान के लिये पंजीयन प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रति भुक्त देगा।

(ङ) कोई पंजीयन प्रमाणपत्र, जो इन नियमों के अधीन दिया गया हो, अन्तरित नहीं किया जा सकेगा। जब किसी पंजीकृत होटल स्वामी के कारबार का उत्तराधिकार अन्तरण, पुनर्गठन या किसी और कारण से दूसरा होटल स्वामी हो जाये, तो उत्तराधिकारी होटल स्वामी इन नियमों के अनुसार पंजीयन का नया प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(च) यदि पंजीयन प्रमाणपत्र खो जाय, विनष्ट या विकृत हो जाय, तो कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त प्रमाणपत्र खो गया है, विनष्ट हो गया है या विकृत हो गया है, होटल स्वामी द्वारा एक प्रार्थनापत्र जिसके साथ 50 रूपये की फीस समाधानप्रद रूप से जमा करने का सबूत होगा, देने पर उसकी दूसरी प्रति जारी कर देगा।

(छ) कमिश्नर समय–समय पर पंजीयन आवेदन के निश्चित समय विरचना के भीतर निस्तारण, ऑन–लाईन पंजीयन के सम्बन्ध में अपनाई जाने

वाली प्रक्रिया, पंजीयन के संशोधन एवं पंजीयन स्वीकृति से सम्बन्धित अन्य मामलों में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

(ग्यारह) पंजीयन प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना:

(क) यदि किसी होटल स्वामी का, जिसे प्ररूप–11 में पंजीयन प्रमाणपत्र दिया गया हो, यह समाधान हो जाय कि होटल स्वामी अब ऐसे पंजीयन का पात्र नहीं है, तो वह अपने प्रमाणपत्र के रद्द किये जाने के लिए आवेदन ऐसी घटना जिसके कारण पंजीयन प्रमाणपत्र को रद्द किये जाने की आवश्यकता हो जाये, के घटित होने के 15 दिन के भीतर, कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी को दे सकता है। कर निर्धारक प्राधिकारी अथवा कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी जॉच जिसे वह आवश्यक समझे, के पश्चात उक्त प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा या आवेदन को अस्वीकृत कर देगा:

परन्तु यह कि होटल स्वामी का पंजीयन रद्द किये जाने हेतु दिया जाने वाला आवेदन होटल स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(ख): अवधि जिसके भीतर तथा रीति जिसके अनुसार कर का भुगतान किया जायेगा:

अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्वामी द्वारा देय कर की धनराशि का भुगतान उस मास की, जिसके सम्बन्ध में स्वामी द्वारा संग्रहीत कर हो, समाप्ति के पश्चात् पाँच दिन के भीतर किसी सरकारी कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में, होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–1 में चालान द्वारा जमा किया जायेगा।

3– नियम 7 का प्रतिस्थापन :

मूल नियमावली के वर्तमान नियम 7 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
अपील: अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये कर निर्धारण आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से या आदेश की जानकारी होने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर निर्धारण को रद्द करने या उसमें उपान्तर करने के लिये आवेदन नियम 8 में विहित अपील प्राधिकारी को कर सकता है और ऐसा आवेदन किये जाने पर, अपील प्राधिकारी कर निर्धारण की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें उपान्तर कर सकता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण के	**अपील:** **(1)** अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये कर निर्धारण आदेश से व्यथीत कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर कर निर्धारण को रद्द करने या उसमें उपान्तर करने के लिये आवेदन नियम 8 में विहित अपील प्राधिकारी को कर सकता है और ऐसा आवेदन किये जाने पर, अपील प्राधिकारी कर निर्धारण की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसमें उपान्तर कर सकता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण के प्रति दी गयी किसी धनराशि को, यथास्थिति, पूर्णतः या अंशतः उसे वापस करने का आदेश दे सकता है।

प्रति दी गयी किसी धनराशि को, यथास्थिति, पूर्णतः या अंशतः उसे वापस करने का आदेश दे सकता है।

(2) उपधारा (1) में दिये गये निर्णय के विरूद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उभयपक्ष द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) द्वितीय अपील के योजन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं नियम, 2005 में वर्णित प्रक्रिया सम्बन्धी प्राविधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

4– नियम 8 का संशोधन :

मूल नियमावली के वर्तमान नियम 8 में, उपनियम (ख) के बाद एक नया उपनियम (ग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

(ग) द्वितीय अपील के मामलों में वाणिज्य कर अधिकरण।

होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–10
(नियम 3 के उपनियम (1) को देखें)
उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 6(3) के अधीन पंजीयन के लिये आवेदन

सेवा में,

कर निर्धारक प्राधिकारी वाणिज्यिक कर,
सेक्टर . . . . सर्किल . . . .

1– (क) आवेदक का नाम . . . . . .
(ख) पिता/पति का नाम . . . . . .
(ग) निवास का पता . . . . . .
. . . . . .
(घ) कारबार में प्रास्थिति . . . . . .

2– (क) होटल स्वामी का नाम . . . . . .
(ख) कारबार का गठन (जैसा लागू हो, टिक करें) (अ)स्वत्वधारी (आ)भागीदारी (इ)हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (ई)सरकारी कम्पनी (उ)पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (ऊ) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (ए) राजकीय निगम (ऐ) पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग (ओ) राजकीय विभाग/सोसायटी/क्लब/न्यास (औ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) .....

3– उत्तराखण्ड में स्थित होटल इकाइयों में से घोषित मुख्यालय का नाम व पूरा पता .....
.....
टेलीफोन नं0 . . . . . फैक्स... . . . . ई.मेल. . . . . .

4– उत्तराखण्ड में होटल इकाइयों का नाम व पता(मुख्यालय इकाई को सम्मिलित करते हुए) –

क0सं0	अन्य होटल इकाइयों का नाम व पूरा पता	होटल इकाई आरम्भ करने का दिनांक	टेली0 नं0, फैकस, ई–मेल	अगर होटल किराये का है	
				मासिक किराये की धनराशि	तारीख जब से किराये पर लिया है
1.					
2.					
3.					
4.					

5– अधिभोगियों के लिये व्यवस्थित सुख–सुविधाऐं(इकाई वार)–
इकाई का नाम व पता

क0सं0	सुख–सुविधाऐं	संख्या
1.	कमरे	
2.	सूट(कोष्ठावलियॉ)	
3.	कान्फ्रेन्स हॉल/ मैरिज हॉल/ कम्यूनिटी हॉल	
4.		

क्या निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध हैं? हॉ/नहीं
1– स्वीमिंग पूल
2– स्पा
3– ब्यूटी पार्लर

4– स्वास्थ्य वर्धक अन्य कार्यक्रम
5– विक्रय केन्द्र
6– .....
7– .....

6– होटल के किराये से प्राप्त अनुमानित वार्षिक धनराशि .....

7– बैंको का ब्यौरा जिनमें लेखा रखा जाता है या जिनके द्वारा सामान्यतया संव्यवहार किया जाता है:

क0सं0	बैंक का नाम	शाखा का पता	लेखे की प्रकृति	लेखा संख्या	अभ्युक्ति
1.					
2.					
3.					
4.					

8– (क) लेखा रखा जाता है– कम्प्यूटरीकृत प्रणाली मैनुअल प्रणाली
(जो लागू हो टिक करें)
(ख) लेखा वर्ष ..... से ..... तक
(ग) लेखापुस्तकों का नाम जो .....
सामान्यतः रखी जाती है .....
(घ) स्थानों का पता जहाँ लेखापुस्तकें सामान्यतः रखी जाती हैं/रखी जायेंगी–
(1) चालू वर्ष के लिये .....
(2) पूर्व वर्षो के लिये .....

9– पंजीयन संख्या (1) उत्तराखण्ड व्यापार कर अधिनियम के अधीन .....(यदि कोई हो)
(2) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन.....
(3) आयकर अधिनियम के अधीन पैन संख्या.....
(4) कम्पनी अधिनियम के अधीन.....
(5) सर्विस टैक्स अधिनियम के अधीन .....

10– पंजीयन फीस जमा करने का ब्यौरा (बिलम्ब फीस,यदि कोई हो,सहित) खजाना चालान सं0 .....तारीख ..... धनराशि–रू0 ..... (पंजीयन फीस.....बिलम्ब फीस.....) बैंक का नाम (शाखा सहित)/खजाना या उपखजाना .....

11– उपाबन्धों का ब्यौरा (नियम 3(1) देखें)
(1)स्वत्वधारी/भागीदारों/संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब के कर्ता व सदस्यों/न्यासी/अप्राप्यवय अथवा असमर्थ व्यक्ति के रिसीवर अथवा संरक्षक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशक और मुख्य अधिकारियों (जैसी भी स्थिति हो)का व्यौरा
उपाबन्ध (1) या उपाबन्ध (2) में (कुल.....सीट)
1–..... 2–.....
3–..... 4–.....

घोषणा

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकायें

मैं ..... (आवेदक) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टियॉ मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण हैं और कोई तात्विक विशिष्टि छिपायी नहीं गयी है।

स्थान .....
तारीख .....

आवेदक का हस्ताक्षर .....
नाम .....
कारबार में प्रास्थिति .....
(सील)

साक्षी:

हस्ताक्षर	(1)	(2) .....
नाम	.....	.....
आत्मज	.....	.....
पूर्ण पता	.....	.....
	.....	.....

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर व ब्यौरा जिसने आवेदक के हस्ताक्षर व फोटोग्राफ का सत्यापन किया है

हस्ताक्षर .....
नाम .....
प्रास्थिति.....

(सील)

उपाबन्ध–1 (होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–10)
(पंजीयन के लिये आवेदन का उपाबन्ध)

स्वत्वधारी/भागीदारों/हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों व कर्ता/ न्यासी/अप्राप्यवय या असमर्थ व्यक्ति के रिसीवर/ सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संरक्षक (जैसी स्थिति हो) के सम्बन्ध में विशिष्टियों का ब्यौरा

फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज) चिपकायें

(क) व्यक्तिगत ब्यौरा

1– पूरा नाम	
2– पिता / पति का नाम	
3– जन्म तिथि / आयु	
4– वर्तमान निवास का पता	
5– स्थाई निवास का पता	
6– कारबार में प्रास्थिति तथा हित की सीमा	
7– आयकर अधिनियम के अधीन पैन	

(ख) उत्तराखण्ड में स्थित अन्य कारबार, जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति का कोई हित हो, का ब्यौरा

1– कारबार का नाम व अभिनाम	
2– कारबार के मुख्य स्थान का पूर्ण पता	
3– कारबार की प्रकृति	
4– व्यापार कर पंजीयन संख्या सर्किल/सेक्टर जहॉ पंजीकृत है, सहित	
5– कारबार स्थापन के विरूद्ध कोई बकाया	

(ग) सभी स्थावर सम्पतियों का ब्यौरा जो कि सम्बन्धित व्यक्ति के स्वामित्व में हों या जिनमें उसका कोई हित हो –

1– सम्पति का विवरण (मकान नं0/खसरा नं0 / मुहल्ला/ग्राम/कस्बा/तहसील/जिला)	
2–सम्पति में हित की प्रकृति एवं सीमा	
3– ऐसे हित का अनुमानित मूल्य	

हस्ताक्षर व फोटोग्राफ सत्यापित
हस्ताक्षर.. . . . . .
नाम. . . . . .
प्रास्थिति . . . . . .

हस्ताक्षर.... . . . . .
नाम . . . . . .
प्रास्थिति . . . . . .
तारीख.....

नोटः– सम्पत्ति के स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेज की प्रतिलिपि नत्थी करें ।

उपाबन्ध–2 (होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–10)
(पंजीयन के लिये आवेदन का उपाबन्ध)

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशकों/ निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (जैसी भी स्थिति हो) की विशिष्टियों का ब्यौरा

फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज) चिपकायें

(क) व्यक्तिगत विवरण

1– पूरा नाम	
2– पिता / पति का नाम	
3– जन्म तिथि / आयु	
4– वर्तमान निवास का पता	
5– स्थाई निवास का पता	
6– कारबार में प्रास्थिति	
7– आयकर अधिनियम के अधीन पैन	

(ख) उत्तराखण्ड में अन्य कारबार, जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति का कोई हित हो, का ब्यौरा

1– कारबार का नाम व अभिनाम	
2– कारबार के मुख्य स्थान का पूर्ण पता	
3– कारबार की प्रकृति	
4– व्यापार कर पंजीयन संख्या सर्किल/सेक्टर जहॉ पंजीकृत है सहित	
5– कारबार स्थापन के विरूद्ध कोई बकाया	

हस्ताक्षर व फोटोग्राफ सत्यापित
हस्ताक्षर . . . . .
नाम. . . . . .
प्रास्थिति . . . . . .

हस्ताक्षर . . . . . .
नाम . . . . . .
प्रास्थिति . . . . . .
तारीख . . . . . .

नोटः– सम्पत्ति के स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेज की प्रतिलिपि नत्थी करें ।

होटलों में सुख–साधन कर प्रपत्र–11
पंजीयन प्रमाणपत्र
(नियम 3 देखें)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिय

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री.....(होटल का नाम) जिसके कारबार का मुख्य स्थान . . . . . .(पूर्ण पता) पर स्थित है, को उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 6 की उपधारा (3) के अध्यधीन तारीख .....से प्रभावी ब्यौहारी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और उन्हें पंजीयन संख्या

0	5									

आवंटित की जाती है

उत्तराखण्ड में स्थित अन्य होटल इकाइयों का नाम व पता :–

1– . . . . . .

2– . . . . . .

3– . . . . . .

4– . . . . . .

प्रमाणपत्र जारी
पुस्तक संख्या–
क्रम संख्या–

असिस्टेंट कमिश्नर. . . . .
सेक्टर . . . . . .
(सील) सर्किल . . . . . .
तारीख. . . . . .

प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र में किये गये संशोधनों का ब्यौरा

आदेश की तारीख	संशोधन की प्रकृति (संक्षेप में)	तारीख जिससे संशोधन प्रभावी है	असिस्टेंट कमिश्नर के हस्ताक्षर

नोटः– (1)जहॉ जगह कम हो अलग शीट का प्रयोग करें ।
(2)पते (प्ररूप में जहॉ भी आवश्यकता हो) में पूर्ण ब्यौरे जैसे मकान संख्या,गली, मुहल्ला,ग्राम/कस्बा/ शहर,डाकखाना और जिला दें ।
(3)प्ररूप के क्रम संख्या–5 और 6 के सम्बन्ध में अगर कारबार स्थल पर व्यौहारी का स्वामित्व हो, तो स्वामित्व के साक्ष्य, तथा यदि किराये में हो तो किराये नामें की प्रति नत्थी की जाय ।

आज्ञा से,

हेमलता ढौंडियाल,
प्रभारी सचिव, वित्त।